न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या : 2015/103

1. दुर्गाप्रसाद शर्मा उम्र करीब 57 साल
2. भगवान सहाय शर्मा उम्र करीब 54 साल
3. महेश कुमार शर्मा उम्र करीब 48 साल

   पुत्रान् स्व0 श्री कल्याण सहायक शर्मा समस्त जातियान् बागडा ब्राह्मण समस्त निवासीयान् ग्राम लूणियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

4. रामनारायण ुत्र स्व0 श्री रामपाल शर्मा उम्र करीब 70 साल जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम लूणियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्यामबिहारी शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय शर्मा जाति बागडा ब्राह्म्ण उम्र करबी 31 साल निवासी ग्राम लूणियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. गोपाल लाल शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा जाति बागडा ब्राह्मण निवासीयान ग्राम लूणियावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. जयपुर नगर निगम, जयपुर जरिये महापौर कार्यालय लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर।
4. श्रीमान् आयुक्त महोदय, जोन सांगानेर, जयपुर नगर निगम कार्यालय नगर निगम रोड, सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. श्रीमान् तहसीलदार, सांगानेर(लैण्ड होल्डर एवं भू निरिक्षक) कार्यालय तहसील सांगानेर जिला जयपुर जरिये प्रतिनिधि राज्य सरकार

– अप्राार्थीगण

Signature Not Verified

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्था[illegible]ा

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Date: 2021.11.16 17:15:31 IST

Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक: 15/03/2021

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ पेश किया गया कि प्रार्थीगण उक्त दर्ज पत्ते पर स्थायी रूप से निवास करते आये है तथा आपस में एक ही परिवार के सदस्य है, जिसमें वादी संख्या 1 से 3 के पिता स्व0 श्री कल्याण सहाय व वादी संख्या 4 आपस में भाई है, जो रामपाल जी के लडके है तथा प्रार्थीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 राज्य सरकार के अधीन निकाय है तथा प्रतिवादी संख्या 5 लैण्ड होल्डर के रूप में एवं राज्य सरकार का प्रतिनिधि के रूप में पक्षकार है। प्रार्थीगण की कब्जे, काश्त, खातेदारी की जमीन/कृषि भूमियां वाकै ग्राम लूणियावास, तहसील सांगाने, जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें कई अन्य भूमियों के साथ आराजी खसरा नंबर 99/824 रकबा 0.05 हैक्टर एवं खसरा नंबर 99/823 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन रास्ता वाकै ग्राम लूणियावास, पटवार हल्का लूणियावास, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, जिसके प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार चले आये है तथा राईट ऑफ रेवन्यू व जमाबंदी में प्रार्थीगण का नाम दर्ज इन्द्राज चला आया है तथा मौके पर प्रार्थीगण अपनी अन्य भूमियों पर अपनी खातेदार के रास्ते खसरा नंबर 99/824 एवं 99/823 से जाते है तथा उपयोग उपभोग करते चले आये है, जो इस बाद में विवादित जमीन है। प्रार्थीगण की कब्जे, उपयोग उपभोग खातेदारी के रास्ते के उक्त खसरा नंबर 99/824 एवं 99/823 पर प्रार्थीगण कदीम समय से उपयोग उपभोग करते चले आये है, जिसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आया है तथा यह गैर मुमकिन रास्ता से प्रार्थीगण के अलावा किसी का कोई लेना देना नही है फिर भी प्रतिवादी 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 3 व 4 से मिलीभगत कर प्रार्थीगण की उक्त जमीन पर आमदरफत रास्ता बनाने में आमदा है तथा प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि वाले रास्ते की विवादित जमीन पर जबरन मेटिरियल डालकर बेजा निर्माण करने पर आमदा है तथा प्रार्थीगण का बेजा परेशान किया जा रहा है। अभी सात दिन पूर्व दिनांक 09.12.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 4 से मिलीभगत कर प्रार्थीगण की विवादित जमीन आराजी खसरा नंबर 99/824 एवं 99/823 किता दो कुल रकबा 0.10 हैक्टेयर के उपयोग उपभोग [illegible] डालने लगे तथा प्रार्थीगण की विवादित जमीन पर प्रतिवादी संख्या [illegible] व 2 की सह पर अप्रार्थीगण 3 व 4 के कर्मचारी व [illegible] आकर प्रार्थीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

खातेदारी के रास्ते को तोडफोड कर अतिक्रमण करने की धमकिया दी है तथा मौके पर माल मैटेरियल डालकर विवादित जमीन पर नया रास्ता बनाने की धमकिया दी गयी तथा मौके पर प्रार्थीगण की जमीन के रास्ते के उपयोग उपभोग में बाधा डालने की निरंतर धमिंया देने लगे एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अन्य से मिलकर प्रार्थीगण की जमीन को उसके खातेदारी रास्ते से वंचित करने व जबरन माल मेटेरियाल डालकर बेजा निर्माण करने की निरंतर धमकिंया देने लगे। दिनांक 15.12.2015 को अप्रार्थीगण सभी आपस में मिलीभगत कर मौके पर आये तथा प्रार्थीगण की जमीन पर बने रास्ते को तोडफोड कर बेजा निर्माण करने पर आमदा हो गया तथा प्रार्थीगण की विवादित रास्ते की जमीन पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बिना सूचना दिये ही व बिना किसी प्रकार का नोटिस दिये ही प्रार्थीगण की जमीन पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की मिली भगत से प्रार्थीगण की विवादित जमीन पर तोडफोड करने व बेजा निर्माण सामग्री डालकर बेजा निर्माण करने की निरन्तर धमकिया देने से दिन प्रतिदिन विवाद मूल उत्पन्न होकर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण करे विरूद्व यह दावा हाजा पेश करना लाजमी हुआ।

अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पर स्वीकार फरमाया जाकर ता फैसला मूलवाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस अमर पांद फरमाया जावे कि वे स्वंय व उनके प्रतिनिधि, एजेण्ट, सर्वेन्ट, सदस्य, रिश्तेदार, अंशी इत्यादि सभी प्रार्थीगण की विवादित आराजी खसरा नंबर 99/824 रकबा 0.05 हैक्टर एवं खसरा नंबर 99/823 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता वाकै ग्राम लूणियावास, पटवार हल्का लूणियावास, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के कब्जे, उपयोग उपभोग में बाधा नही डाले, किसी प्रकार अतिक्रमण नही करे तथा प्रार्थीगण के इस उक्त खातेदारी की जमीन गैर मुमकिन रास्ते पर निर्माण सामग्री डालकर कोई निर्माण नही करे तथा तथा आज की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन [illegible] सूची के साथ फोटो कॉपी जमाबंदी खसरा [illegible] 99/823, [illegible] जमाबंदी 99/824, फोटो प्रति नक्शा ट्रेस पेश किये [illegible] है।

प्रार्थना पत्र टीआई दर्ज रजिस्टर किया [illegible] अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आयें। अप्रार्थीगण को जवाब टीआई हेतु अनेक अवसर दिये जाने के

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

उपरांत भी जवाब टीआई पेश नही करने पर जवाब टीआई का अवसर बंद किया गया। बहस प्रार्थना पत्र टीआई पर वकील उभयपक्ष सुनी गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण/वादीगण ने वाद अपने खातेदारी में बताते हुये वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के दृष्टिकोण से विचार किया जाना है। प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2069–72 खसरा नंबर 99/823 में काश्तकार कॉलम में नाम रामनारायण पुत्र रामपाल कौम बागडा ब्राह्मण सा0देह राहिन भारतीय स्टेट बैंक लूनियावास मूर्तहीन व खसरा नंबर 99/824 में खातेदार कॉलम में दुर्गाप्रसाद भगवान सहाय महेश कुमार पिता कल्याणसहाय कौम बागड़ा ब्राहम्ण दर्ज है। हाल रिकॉर्ड में प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे बनता प्रतीत होता है। है। अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वादग्रस्त आराजी पर कब्जा व रिकॉर्ड दोनो ही प्रार्थीगण के पक्ष में होने से इस स्तर पर तुलनात्मक रूप से असुविधा व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण की होना सम्भावित है ऐसे में मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित बनाये रखना आवश्यक समझते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र टीआई विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाता है अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात खसरा नंबर खसरा नंबर 99/824 रकबा 0.05 हैक्टर एवं खसरा नंबर 99/823 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम लूणियावास, पटवार हल्का लूणियावास, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोनेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित रास्ते पर कोई निर्माण ना करें।

आदेश आज दिनांक 15.03.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.11.16 17:15:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner